कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट , उत्तरकाशी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट, उत्तरकाशी

उपखण्ड प्रोजेक्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी अपर यमुना, बड़कोट वन प्रभाग के अंतर्गत (0.43 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.66 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, कुल 1.09 है० भूमि) नैनबाग(दियारीखड़ से बड़कोट बैन्ड), बड़कोट बैन्ड से राड़ीटॉप, राड़ीटॉप से जानकीचट्टी तक मोटर मार्ग का रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, की दिनांक 18/6/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् है :-

1. श्री P. S. Rana उप जिलाधिकारी (अध्यक्ष)........ उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)
2. श्री जी.पी. [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)........ उप प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट S.D.O
3. श्री सुनीलरावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य)........ सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री प्रकाश असवाल बी0डी0सी0 क्षेत्र (सदस्य)........ कोटी (ठकराल) [illegible] प्रकाश सिंह असवाल ज्येष्ठ उपप्रमुख विकासखण्ड नौगांव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बड़कोट वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी (0.43 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.66 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, कुल 1.09 है० भूमि)है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 द्वितीय तल एन०सी०आर० प्लाजा, हाथी बड़कला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

के पक्ष में 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट वन प्रभाग के अन्तर्गत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन बड़कोट (उत्तरकाशी)

तहसील........ / जनपद–........
प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम:– जनपद उत्तरकाशी के वन प्रभाग अपर यमुना, बड़कोट में Row Permission for laying Optical Fiber Cable NH- 507A Marod- Dobata Band (Barkot) From Km. 65.00 to Km. 110.5, NH- 134 (Old NH-94) Dobata Band (Barkot)- janki Chatti (Yamunotri) From Km. 55.00 to Km. 101.00, Total Km. 108.8 & 1.09 Ha. तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि० द्वितीय तल एन०सी०आर० प्लाजा, हाथी बड़कला, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

ह० Bisht
प्रयोक्ता एजेंसी

ह० 18/6/18
तहसीलदार
बड़कोट (उत्तरकाशी)

ह०
उप जिलाधिकारी
18/6/18
उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

FRA NOC Certificate regarding settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006

Date:

FORM 1(for Linear projects)

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11/9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects,

It is thus certified that laying of optical fiber cable (OFC) in forest land along the road at Hill Side on **0.44 Hectare** forest land for Laying of Optical Fiber Cable (OFC) along with road starting from Nainbagh to Barkot to Jankichatti, Total km 97.00 & 0.97 Ha. falling in Forest Division Barkot District: Uttarkashi –UK by **Reliance Jio.**

It is further certified that:

(a) The complete survey for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9905 Hectares of forest area proposed for diversion for laying of optical fibre along the ROW width leased to PWD / NHAI on NH -134.

(b) The diversion of forest land for facilitates managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the consent of Grama Sabhas is .....Not applicable / exempted for Linear projects like OFC laying (as per GOI, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Fc Division) letter F. No. : 11-9/98-Fc (pt) dt: 28/oct/2014.

(c) The proposal does not involve recognized right of the Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

District Collector Uttarkashi

(Full name and seal of the DC/DM)

SDM

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)